न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 58 / 2022

श्री देव प्रकाश शर्मा 3–च–10 आर.एच.बी. शास्त्री नगर जयपुर –302016

........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,भरतपुर

...........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 25.08.2022**

अपीलार्थी श्री देव प्रकाश शर्मा 3–च–10 आर.एच.बी. शास्त्री नगर जयपुर –302016 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,भरतपुर के खिलाफ सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2022 से लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,भरतपुर से सूचना चाही गई थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई।

लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / स्था / रा.लो.सू.आ / 2022 / 3092 दिनांक 23.8.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब पर गौर किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाव एवं उसके साथ प्राप्त प्रति पत्र क्रमांक / स्था / रा.लो.सू.आ / 2022 / 2084 दिनांक 09.6.2022 के अवलोकन से जाहिर कि आप द्वारा चाही गई सूचना उक्त पत्र से भिजवाई जा चुकी है। बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में उन्होने अपने जवाब के पैरा 2 में स्पष्ट किया है उक्त पत्र / जवाव की फोटो प्रति संलग्न कर प्रेषित है। अस्तु अपील अपीलान्ट काविल खारिज के रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्राादि की फोटो प्रति संलग्न) एवं लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर